भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1231

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

तमिलनाडु में जारी किए गए ई-श्रम कार्ड

1231. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में जारी किए गए ई-श्रम कार्डों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है तथा राज्य में ई-श्रम योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, कृषि मजदूरों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच ई-श्रम योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रसार में स्थानीय प्राधिकरियों, जिला प्रशासनों और श्रम विभागों की भूमिका, साथ ही विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में ऐसे श्रमिकों के पंजीकरण में जाने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में उन श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) जैसी योजनाओं सहित ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ओर कल्याणकारी लाभों से लाभान्वित हुए हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 21 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और जिसमें उन्हें ई-श्रम कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तमिलनाडु राज्य में ई-श्रम पर पंजीकृत 92.95 लाख से अधिक असंगठित कामगार शामिल हैं। ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का क्षेत्रवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों, निर्माण कामगारों, कृषि श्रमिकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच ई-श्रम को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।
ii. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।
iii. रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

जारी-2/-

iv. सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

v. जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

vi. ई-श्रम पर पंजीकरण हेतु कामगारों में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।

vii ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। ये शिविर मंत्रालय द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएससी), दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) तथा राज्य श्रम विभाग के समन्वय से समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

असंगठित कामगारों हेतु ई-श्रम और इसकी संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया है। यह एप्लिकेशन ई-श्रम प्लेटफार्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय आधार पर पहुंच प्रदान करता है, जिससे पहुंच और प्रयोक्ता सुविधा दोनों में उल्लेखनीय सुधार होता है।

इसके अलावा, असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

तमिलनाडु में ई-श्रम कार्ड धारकों को लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई- जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

तमिलनाडु राज्य में पीएमएसवाईएम सहित चुनिंदा ई-श्रम एकीकृत केंद्र सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

**

****

अनुबंध-I

"तमिलनाडु में जारी किए गए ई-श्रम कार्ड" के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 21.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में ई-श्रम पर पंजीकृत विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित कामगारों की कुल संख्या:

क्र.सं	**व्यवसाय क्षेत्र**	**पंजीकरण की संख्या**
1	कृषि	53,97,549
2	परिधान	7,61,838
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	3,59,861
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा	2,001
5	सौंदर्य और स्वास्थ्य	36,270
6	पूंजीगत वस्तुएँ और विनिर्माण	1,48,994
7	निर्माण	10,82,562
8	घरेलू और पारिवारिक कामगार	1,23,831
9	शिक्षा	1,08,668
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और गृह निर्माण	1,22,029
11	खाद्य उद्योग	63,058
12	रत्न और आभूषण	20,173
13	कांच और सिरामिक्स	2,752
14	हस्तशिल्प और कालीन	1,50,900
15	स्वास्थ्य सेवा	84,737
16	चमड़ा उद्योग कार्य	50,476
17	खनन	6,812
18	विविध	3,57,508
19	संगीत वाद्ययंत्र	3,610
20	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	1,61,753
21	संगठित खुदरा व्यापार	2,490
22	मुद्रण	23,832
23	निजी सुरक्षा	9,148
24	पेशेवर	29,801
25	खुदरा	67,965
26	सेवा	13,686
27	वस्त्र और हथकरघा	14,232
28	तंबाकू उद्योग	28,056
29	पर्यटन और आतिथ्य	58,376
30	लकड़ी और बढ़ईगिरी	2,775
	कुल योग	**92,95,743**

अनुबंध-II

"तमिलनाडु में जारी किए गए ई-श्रम कार्ड" के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 21.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, चुनिंदा ई-श्रम एकीकृत/मैप्ड केंद्र सरकारी योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या:

योजना का नाम	**संख्या**
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	59,60,619
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	45,83,551
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	35,05,341
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	19,22,647
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	6,14,933
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएमकिसान	5,45,267
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	2,97,908
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	2,06,710
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि)	84,768
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)	44,378
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई)	31,291
प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)	7,333
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1,626
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	1

*स्त्रोत: ई-श्रम आंकडे